

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
दिनांक 11/03/25
कमांक/भू.अ./2025/322

प्रार्थी :-

अहमद पुत्र ओसमान फौत के कायम मुकाम 1/1
आचार, 1/2 सुमार पि. अहमद, 1/3 सुरतानी
पत्नि अहमत 2. सिदिकखान पुत्र उमरखान जाति
मुसलमान 3. प्रेमराम पुत्र मघाराम जाति जाट
निवासी हाजी अलाने का तला, वीजराड तहसील
चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1.पन्नु पुत्र ओसमान 2. मारवी पत्नि अयूब जाति मुसलमान
निवासी वीजराड 3. मोहमद पुत्र जुड़ियाखान 4. ठकुरी पत्नि
ओभाया 5. अरवू 6. हसन पि. बसाया जाति मुसलमान निवासी
सुकालिया 7. फातमा पुत्री अब्दुला जाति मुसलमान निवासी
जाफर का तला, मते का तला 8. तईया पुत्र अमीन 9. जुमा पुत्र
अमीन जाति मुसलमान निवासी हाजी अलाने का तला, वीजराड
10. हड़वन्तसिंह पुत्र महासिंह 11. रामसिंह पुत्र बीजराजसिंह
जातियान राजपुत निवासी वीजराड 12. तगा पुत्र दला 13.
हरलाल पुत्र दला 14. धीराराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी
समों का तला, वीजराड 15. समझू पत्नि नारणा जाति मेगवाल
निवासी वीजराड तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 44/2023

दिनांक 11.03.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
वीजराड के मौजा हाजी अलाने का तला के खेत खसरा सं. 1257/705 रकबा 10.2142 हैक्टेयर, भूमि के
चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की
नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के
रुवरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर
पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी
कमिश्नर को कमिश्नर फीस रूपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



कमांक/भू.अ./2025/323 to 326

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी अहमद के का.मु. आचार पुत्र अहमद वगैराह
3. विप्रार्थीगण पन्नु पुत्र ओहमान वगैराह
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजराड/धोरीमना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपचौहटन अधिकारी
दिनांक 11/03/25

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन